

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक-ब०उ०अ० 116 / 41-1/पुनः अवस्थापना दिनांक, लखनऊ, नवम्बर ०, 2009
सेवा में

समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय) उ०प्र०।
समस्त मण्डलीय/जोनल मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) उ०प्र०।
समस्त मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), उ०प्र०।

विषय: मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.05.1997 के अनुपालन में वैप लाइसेंसमुदा आरामशीनो की पुनः अवस्थापना।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्रांक-ब०उ०अ० 1165/41-1/पुनः अवस्थापना दिनांक 10.06.2009

उ०प्र० आरामित की स्थापना एवं विनियमन नियमावली 1978 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-2 के शर्त संख्या-7 में निम्नानुसार उल्लिखित है:-

"लाइसेंस अन्तरणीय होगा और जहाँ इसे अन्तरित किया जाये वहाँ अन्तरक सम्बद्ध प्रभागीय वनाधिकारी को ऐसे अन्तरण की सूचना तुरन्त देगा और अन्तरिती उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक लाइसेंस धारण करेगा।"

(The licence shall be transferable and where it is transferred, the transferor shall, forthwith inform the Divisional Forest Officer concerned of such transfer and the transferee shall hold the licence for the period specified therein)

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07.05.1997 को निम्नानुसार आदेश निर्गत किय गया था:-

In the State of Uttar Pradesh the following is permitted-

"Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) may, on a case to case basis, consider grant of permission to an existing licenced saw-mill to relocate itself, provided that the relocated site is not within 10 Kms. Of any existing forest."


पुनः उ०प्र० आरामित की स्थापना एवं विनियमन नियमावली 1978 के तृतीय संशोधन में निम्नानुसार नियम लागू रखा गया है:-

"The Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh, on an application and after such inquiry as he deems fit, may order for relocation of an existing Saw mill from one place to another within the State"

मा० उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० को वैप लाइसेंस आरामशीन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निर्धारित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत पुनः अवस्थापना करने के हेतु अधिकृत किया गया है। उ०प्र० आरामित की स्थापना एवं विनियमन नियमावली 1978 तथा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आरामशीन का नामान्तरण करने हेतु प्रमुख वन संरक्षक अधिकृत नहीं है।

आ: भविष्य में यदि आरामशीन लाइसेंस का वर्तमान आरामशीन स्वामी से किसी अन्य के नाम परिवर्तन होना है तं पुनः अवस्थापना प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व प्रभागीय वनाधिकारी (जिस वन प्रभाग द्वारा स्थानान्तरण प्रस्तावित है) द्वारा नामान्तरण के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर परिवर्तित नाम से पुनः अवस्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि नामान्तरित व्यक्ति/संस्था को नाम परिवर्तन से पूर्व जिलाधिकारी का अनापेक्षित प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन हेतु अधीनस्थ प्रभागीय निदेशकों/प्रभागीय वनाधिकारियों को अपने स्तर से प्रवर्तित करें।


(जी०एन०एन० सुमन)
प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०,
लखनऊ। 01/11